बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

पत्रांकः–224 /पटना, दिनांकः– 07/02/2014

प्रेषक,

श्री चन्द्रशेखर सिंह,
परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी, भवन, पटना–15.

सेवा में,

प्राचार्य,
1. सभी राजकीय पोलिटेकनिक,
2. सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
3. निजी संस्थान अजमत, मिलिया, बुद्धा, भाभा, के0के0पोलिटेकनिक,नालन्दा एवं पटना साहिब टेकनिकल एडुकेशन वैशाली।

विषयः– डिप्लोमा सेमेस्टर v की पूरक परीक्षा 2013 (odd) के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सेमेस्टर v की पूरक परीक्षा 2013 (odd) में सम्मिलित हाने हेतु पर्षद द्वारा उपलब्ध कराए गये विहित प्रपत्र में आवेदन भरवाकर, नामों की सूची 2 प्रति (अंग्रेजी में) निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र दिनांक 17/02/2014 तक बिना विलम्ब शुल्क के पर्षद को प्राप्त करा दिया जाय। उक्त वांछित अभिलेखों एवं परीक्षा शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

उपर्युक्त परीक्षा में यदि कोई छात्र पूर्व में सम्मिलित नहीं हुए हों वैसे नियमित छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्र छात्र जो सामयिक परीक्षा में विषयवार सम्मिलित हो चुके है, एवं संबंधित सभी सात्रिक कोर्स पूरा कर लिये हैं, तथा जिसका सात्रिक अंक चार्ट के अनुसार पात्रता हो, उन छात्रों से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्षद द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में आवेदन भरवाकर नामों की सूची (अंग्रेजी में 2 प्रति), निर्धारित परीक्षा शुल्क, संबंधित छात्रों के सामायिक एवं आंतरिक सात्रिक प्राप्तांक (साफ्ट् कॉपी की सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी) के साथ पर्षद को नियत समय पर प्राप्त करा दिया जाय।

यदि कोई छात्र उपर्युक्त परीक्षा से पूर्व के परीक्षा में सम्मिलित हुए हों वैसे छात्र, पूर्ववर्ती छात्र के रूप में संबंधित पूर्व परीक्षा के सामाजिक एवं सात्रिक अंकों के साथ शामिल हो सकते हैं, बशर्ते की ऐसे छात्र संबंधित पूर्व परीक्षा के सात्रिक विषयों में उत्तीर्ण रहे हों।

(2) पर्षद के नियमानुसार जिन छात्रों का प्रथम सेमेस्टर के carry clear नही है, वे सेमेस्टर v की परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं इस तरह के छात्रों से सेमेस्टर v हेतु आवेदन पत्र नहीं भराया जाए। ऐसे छात्रों का आवेदन के जॉच की जिम्मेवारी संस्थान की होगी तथा उनके आवेदित राशि जब्त करते हुए पर्षद परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं करेगी।

(3) छात्रों से 750/– रूपया प्रति छात्र वसूल कर सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र के साथ पर्षद कार्यालय में प्राप्त करा दिया जाए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर पर्षद विचार नहीं करेगी।

(4) उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरने वाले छात्रों से संलग्न अनुदेश के अनुसार छात्र का पर्षद क्रमांक आवंटित किया जाए एवं सभी छात्रों से आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर पर्षद क्रमांक अवश्य अंकित करा दिया जाय।

(5) सभी संबंधित छात्रों का एक–एक अद्यतन छायाचित्र (एक ही निगेटिव का) आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर चिपका दिया जाए जो केवल प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा, किसी पदाधिकारी को अधिकृत करने की स्थिति में अधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमूना पर्षद को आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेज दिया जाए। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य/पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छाया चित्र तथा आधा आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र पर होना चाहिए।

(6) उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों/छात्राओं का आवेदन पत्र पर्षद को अग्रसारित करने के पूर्व निम्नांकित तथ्यों को जॉच कर प्रमाण पत्र दिया जाए।

(i) आवेदित छात्र/छात्राओं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो मूल नामांकन अभिलेख एवं पर्षद द्वारा निर्गत निबंधन के अनुरूप है।

(ii) आवेदित छात्र/ छात्राओं जो सामयिक परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं एवं आंतरिक सात्रिक विषयों का प्राप्तांक, आवेदन पत्र के साथ सॉफ्ट कापी की सी0डी0एवं हार्ड कॉपी (दो प्रति में) संलग्न हैं

(iii) आवेदित छात्र/छात्राओं से प्राप्त निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट में सन्निहित है।

(iv) कैरी/आंशिक परीक्षा के छात्र/ छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया विषय संस्थानीय प्राप्तांक के अनुरूप है।

(v) संबंधित छात्र/छात्राओं से एक ही नम्बर का आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र भरवाया गया है।

त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण सूचना के साथ आवेदन पत्र पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार,पटना।